न्यायालय उप तहसीलदार, बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 41/2024 निर्णय दिनांक 30/8/24

सरकार जरिये बनाम श्री छगनलाल पिता प्यारा धाकड़

पटवार हल्का गोविन्दपुरा निवासी खानखेड़ा

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

<u>निर्णय</u>

पत्रावली आज मुकाम गोविन्दपुरा पर पेश हुई। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गोविन्दपुरा ने इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि श्री छगनलाल पिता प्यारा धाकड़ ने तहसील बेगूँ के ग्राम खानखेड़ा में स्थित आराजी नम्बर 603 रकबा 0.48 किस्म पीव पर दोराने सम्वत् 2081 खरीफ में अनाधीकृत रूप से भूमि को फसल बोकर अतिक्रमण किया है।

उक्त आशय की रिपोर्ट पेश होने पर अतिक्रमी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस अन्तर्गत धारा 91(3) एवं धारा 91(6) एल.आर.एक्ट में जारी किया जो विधिवत रूप से तामील करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अतिक्रमी ने उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार किया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य से अतिक्रमित क्षेत्र अतिक्रमी के नाम नियमन योग्य नहीं पाया जाता है। अतः अतिक्रमी को ग्राम खानखेड़ा में स्थित खसरा नम्बर 603 रकबा 0.48 किस्म पीव भूमि से बेदखली का निर्णय पारित किया जाता है। जुर्माना लगान 3.00 रू. का 50 गुणा राशि 502/- रूपये आरोपित किये जाते हैं। जो वसूल हो।

निर्णय बमुकाम लिखाया जाकर सुनाया गया।

पालनार्थ पटवारी एवं मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Lal Yadav
Date: 2025.12.12 16:22:51 IST
Reason: SelfAttested

उपतहसीलदार
उप तहसीलदार

मांग कायमी 91 पं. ... सं. 94
योग 502 वर्ष 2024 के रजि. में दर्ज की गई।
में पेज संख्या

तहसील राजस्व लेखाकार
बेगूँ